इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जनवरी 2018—पौष 13, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना (संशोधन)

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के नियम में संशोधन

क्र.-एफ-24-1-2011-अड़तीस-2.—असाधारण राजपत्र शासन अधिनियम अधिसूचना क्रमांक 471, दिनांक 30 सितम्बर 1996 यथा संशोधित क्रमांक 80 दिनांक 20 फरवरी 2015 में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के नियम की कंडिका ग एवं छ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

कंडिका ''ग'' में **''गणमान्य नागरिक जो न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम एक लाख रुपये महाविद्यालय को दान के रूप में दिया हो, नियुक्त किया जायेगा''** को विलोपित किया जाता है.

कंडिका ''छ'' के क्रमांक 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है. सचिव, वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते समय क्रमांक 1 तथा 2 में वर्णित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.